भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †1704
दिनांक 29.07.2026 को उत्तर देने के लिए

खानों को शीघ्र चालू करने के लिए प्रोत्साहन योजना

†1704. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 5,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि इस योजना का उद्देश्य खानों को शीघ्र चालू करना, नीलामी के लिए खानों को तैयार रखना, शासन और सरकार के केंद्रीय निगरानी पोर्टल के साथ एकीकरण करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और
(ग) क्या इस योजना का उद्देश्य राज्यों को खानों को नीलामी के लिए शीघ्र तैयार रखने के लिए प्रोत्साहित करना भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) से (ग): जी, हां। पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम (एसएएससीआई) के भाग-V (खनन क्षेत्र सुधार) के तहत 5,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम को वित्त वर्ष 2026–27 के लिए सम्मिलित किया गया है। इस स्कीम में तीन घटक शामिल हैं, अर्थात्—घटक-I (खनन सुधारों का कार्यान्वयन), घटक-II (खानों का प्रचालन) तथा घटक-III (राज्य खनन तत्परता सूचकांक-आधारित सुधार)।

इस वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (जहां विधानमंडल है) को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके खानों के तीव्र प्रचालन को सुगम एवं त्वरित बनाना तथा खनन क्षेत्र के समग्र शासन में सुधार करना है। इसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, खानों के प्रचालन हेतु राज्य के खान मंत्रालय के एकीकृत खनन पोर्टल के साथ एकीकरण;

भूमि निर्धारण (लैंड शेड्यूलिंग) संबंधी समस्याओं के समाधान तथा नीलामी हेतु खनिज ब्लॉकों की शीघ्र पहचान एवं तैयारी के लिए पूर्व-नीलामी समिति का गठन; राज्यों द्वारा अधिक सक्रिय एवं पारदर्शी नीलामी को सुगम बनाने के लिए प्रमुख खनिजों हेतु वार्षिक नीलामी कैलेंडर का प्रकाशन; प्री-एम्बेडेड स्वीकृतियों सहित प्रमुख खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी; निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नीलाम किए गए प्रमुख खनिज ब्लॉकों का प्रचालन; तथा खनिज अयस्क के ग्रेड के गलत वर्गीकरण की रोकथाम/पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को अपनाना जैसे सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रावधान है।
